HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए 03 हत्यारोपियों (पति, देवर व सास) को आजीवन कारावास व 7,000-7,000/- रुपये एवं 02 आरोपियों (02 देवर) को 03 -03 वर्ष का साधारण कारवास व 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 31.07.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा 05 आरोपियों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 22-07-2018 को अभियुक्तगण सुनील (पति) पुत्र इन्द्राज निवासी ग्राम रमपुरा थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा अपनी मां संतोष, भाई अनिल, बन्टी व बॉबी के साथ मिलकर अपनी पत्नी सीमा को प्रताडित कर गला दबाकर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबगढ़ पर मु0अ0सं0 332/2018 धारा 498ए, 302, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 22.10.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 31.07.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हापुड़ द्वारा अभियुक्त सुनील (पति), अनिल (देवर), संतोष (सास) को आजीवन कारावास व 7,000-7,000/- रुपये एवं अभियुक्त बंटी (देवर) व बॉबी (देवर) को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री विजय कुमार चौहान (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री मुकेश कुमार एवं पैरोकार म0का0 मोनू व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 पुष्पा का विशेष योगदान रहा।